

# FORM NO. III

## फॉर्म अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत ..... जिला मजिस्ट्रेट, वाडमेर ..... मुकाम ..... वाडमेर .....  
प्राधिकृत अधिकारी, राजस्थान मरुधरा ग्रामीण ..... अप्रार्थीगण मैसर्स पीबीएन .....  
बैंक, शाखा बालोतरा ..... इन्टरप्राइजेज .....  
किस्म मुकदमा ..... नं. .... सन् 95/2024...

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 SARFAESI अधिनियम

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज   | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुय |
|-------------|--|---|
| 26-11-24    | <p>प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री पुरुषोत्तम सोलंकी द्वारा यह प्रार्थना-पत्र धारा 14 SARFAESI अधिनियम के अन्तर्गत अप्रार्थीगण मैसर्स पीबीएन इन्टरप्राइजेज जरिये प्रोपराईटर श्री प्रेमसिंह राठौड़ पुत्र श्री इन्द्रसिंह राठौड़ के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया है।</p> <p>प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी बाकिदार के खाता को एनपीए घोषित करते हुए ऋण के पेटे रहन रखी गई बंधक सम्पत्ति का कब्जा प्राप्ति हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया हैं। अप्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री खेताराम बेनिवाल द्वारा केवियट प्रार्थना-पत्र के द्वारा प्रकरण में सुनवाई एवं पक्ष प्रस्तुत करने का निवेदन किया गया।</p> <p>हमने दोनो पक्षों के अधिवक्ता की बहस सुनी गई। प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा प्रकट किया कि धारा 14 SARFAESI अधिनियम के अन्तर्गत इस न्यायालय में अप्रार्थीगण को सुनवाई का अवसर प्रदान किये जाने का कोई प्रावधान नहीं हैं तथा इस संबंध में माननीय न्यायिक निर्णय नजीर 2024(2) डीएनजे(राज.) 572 प्रस्तुत की गई, जिसमें माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय की जयपुर पीठ द्वारा यह निर्धारित किया हैं कि जिला मजिस्ट्रेट को ऋणी तथा प्रतिभूत साहूकार के बीच विवाद को निर्णीत नहीं करना हैं, पीड़ित पक्षकार सभी आपतियां वसूली अधिकरण के समक्ष उठा सकता हैं।</p> <p>अधिवक्ता अप्रार्थी ने फॉर्म सं. 3 के साथ ऋण वसूली अधिकरण न्यायालय में उनकी ओर से दायर प्रकरण सं. 462/2024 में</p> |   |



जिला मजिस्ट्रेट, वाडमेर

nt of  
lited  
party  
ents  
the  
of the  
take  
re to  
strate  
rower  
l the  
aside  
law.  
& 13]  
i. 2002  
र्थना-पत्र  
के साध  
या न  
तयों  
कार  
व कि  
के र  
करने

95

63

J (

9

तारीख  
हुक्म

दिनांक 02.08.2024 को पारित आदेश की प्रति प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया कि ऋण वसूली अधिकरण के समक्ष अपील विचाराधीन हैं तथा प्रार्थी बैंक की ओर से भी अधिवक्ता उपस्थित होकर पैरवी कर रहे हैं, ऐसे में अधिकरण में अपील विचाराधीन रहते हुए इस प्रार्थना-पत्र में किसी प्रकार का आदेश पारित किया जाना न्यायसंगत नहीं है।

हमने उभय पक्ष के अधिवक्तागण द्वारा प्रकट तथ्यों पर मनन किया तथा प्रस्तुत अभिलेखों का अवलोकन किया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र के संलग्न प्राधिकृत अधिकारी द्वारा शपथ-पत्र के मजमून सं. 11 में अंकित है कि इस प्रार्थना-पत्र के अलावा अन्य कोई प्रकरण या अपील किसी भी न्यायालय में लम्बित नहीं है और न ही कोई स्थगन आदेश है। अधिवक्ता अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आदेश के अवलोकन से प्रकट होता है कि ऋण वसूली अधिकरण के समक्ष अप्रार्थीगण की ओर से दर्ज अपील विचाराधीन हैं तथा प्रार्थी की ओर से इसमें पैरवी हेतु अधिवक्ता नियुक्त हैं। ऐसे में इस अपील के विचाराधीन रहते हुए हस्तगत प्रार्थना-पत्र में प्रार्थी द्वारा वर्णित सम्पत्ति के कब्जा सुपुर्दगी की कार्यवाही प्रवर्तनीय किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः प्रकट तथ्यों एवं दस्तावेजों के अवलोकन उपरांत प्रार्थना-पत्र प्रार्थी अस्वीकार किया जाता है। यदि प्रार्थी उक्त अपील के निस्तारण उपरांत बन्धक सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करना चाहे तो सये सिरे से प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करने हेतु स्वतंत्र होगा। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हों।



जिला मजिस्ट्रेट, बाड़मेर

